न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 89/2024

प्रार्थीगण :-

1. परबतसिंह पुत्र रामसिंह
2. देवीसिंह पुत्र रामसिंह
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र जेठसिह
4. गेन्दा कंवर पत्नी जेठूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. पुरखाराम पुत्र गणेशराम
2. गजाराम पुत्र पुरखाराम जातियान कीर निवासीगण ग्राम बंध जसवंत सागर पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री भागीरथ सिंह सोढा एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 2 - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांकः-** 14/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम कालाउना के मूल निवासी है। जिनकी संयुक्त खातेदारी काश्त की कृषि भूमि ग्राम कालाउना भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक तहसील बिलाडा में आई हुई है। जिसके खसरा सं. 1053/1 रकबा 3.2360 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय की आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खसरा सं. 1053/1 की मांठ पश्चिम तरफ आई हुई है एवं माठ के पश्चिम में ग्राम बंध जसवंत सागर पिचियाक की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की मांठ का सीमांकन करना आवश्यक हो गया, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 मांठ को तोडकर खुर्दबुर्द करने पर आमादा थे, और उन्होंने ऐलानिया धमकी दी कि यह मांठ को तोडकर प्रार्थीगण के खेत में जबरन काश्त करेगे जिस पर प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान कराने हेतु कार्यालय तहसीलदार भू अभिलेख बिलाडा को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार साहब बिलाडा ने सीमाज्ञान के लिये टीम गठित की, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक वृत पिचियाक श्री ओमाराम पटवारी पटवार मण्डल कालाउना, श्री रामस्वरूप भाकर व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी पटवार मण्डल पिचियाक श्री रामनिवास को सीमाज्ञान हेतु आदेश जारी किया। जिस पर उक्त गठित टीम द्वारा मौके पर जाकर खसरा सं. 1053/1 का सीमांकन मौके पर शान्ति बनी रही। उक्त मौका रिपोर्ट पर गांव के मौजिज व्यक्तियेां के हस्ताक्षर मय मोबाईल फोन के अंकित है, जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 झगडलु प्रवृति के व्यक्ति है एवं बार बार मांठ को तोडने की कोशिश करते रहे है। जिस हेतु सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण की सीमा में मुडांन हेतु पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावे। जिससे कि खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में बिना बिध्न बाधा के काश्त कार्य कर सके। प्रार्थीगण मुडागढी करवाकर तारबंदी करवाना चाहते है जिस हेतु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने खेत की सीमाओं पर तारबंदी नहीं करने दे रहे है। जिस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय शरण लेनी पडी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त भूमि जो प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद व तरमीमसुदा है जिसका खसरा सं. 1053/1 रकबा 3.2360 हैक्टयर है को नाप करवाकर मूडागढी करवाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण साधे सादे शान्तिप्रिय व्यक्ति है जिस कारण प्रार्थीगण यह चाहते है कि अप्रार्थीगण से सीमा विवाद हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जावे। इस हेतु हल्का पटवारी व अन्य उचित अधिकारी को मौके पर भेजकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश कर मूडागढी करवा दी जावे। मूडागढी के पश्चात प्रार्थीगण अपनी सीमा मे पत्थर की पटिटये रोप कर तारबंदी कर देगे जिसे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच हमेशा के लिये विवाद खत्म हो जायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कि पत्थरगढी व सीमाकंन की कार्यवाही में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा डाले जाने पर पुलिस इमदाद के जरिये आदेश की पालना करवाई जावे। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 2 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 2 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 3 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाउना के खसरा नंबर 1053/1 रकबा 3.2360 हैक्टयर आई हुई है, जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 1053/1 की माठ पश्चिम की तरफ है तथा माठ के पश्चिम में ग्राम बंध जसवंतसागर की भूमि है दोनों ग्रामों के खातेदारों में माठ को लेकर विवाद होने पर ग्राम कालाउना के खातेदारों में माठ को लेकर विवाद होने पर ग्राम कालाउना के खातेदारों द्वारा 09.05.2024 को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी पालना

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

में दिनांक 14.05.2024 को पटवारी हल्का कालाउना द्वारा सीमाज्ञान करवाया था जिसकी फर्द संलग्न है। प्रार्थीगण अपने खसरा नंबर 1053/1 की माठ पर तारबंदी करवाना चाहते है जिसे अप्रार्थीगण ने रुकवा दिया है। दोनों पक्षों में विवाद बढे नहीं, इस हेतु पत्थरगढी करवाना जाना आवश्यक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सीमाज्ञान के बाद माठ को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढे नहीं, इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1053/1 प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदार की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य खसरा नंबर 1053/1 के पश्चिम माठ को लेकर विवाद है। इस कारण मौके पर पूर्व सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 14.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 1053/1 रकबा 3.2360 हैक्टयर का दिनांक 14.05.2024 की सीमांकन मौका फर्द के अनुसार केवल खसरा नंबर 1053/1 की पश्चिम माठ की तरफ अस्थिर माठ को स्थिर कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 14/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

Scanned with OKEN Scanner